न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/237

परवत सिंह आयु 70 वर्ष आत्मज श्री अडीसालसिंह जी उर्फ गोगसिंह जी जाति राजपूत निवासी बटावदा तहसील बारां हाल निवासी ग्राम ताखा तहसील अन्ता जिला बारां ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. प्रताप बाई बेवा नन्द सिंह जी पुत्री मोतीसिंह जी जाति राजपूत निवासी ग्राम बटावदा तहसील बारां हाल निवासी उम्मेदगंज तहसील बारां जिला बारां ।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।
3. श्रीमान् पंजीयक अधिकारी महोदय पंजीयन कार्यालय, दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 05.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम डूंगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा की खाता संख्या 100 की आराजी खसरा नम्बर 572 रकबा 4.34 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 74 रकबा 30 बीघा थी जिसके हाल खसरा नम्बर 572 रकबा 4.34 हैक्टर भूमि दर्ज है जो साबिक रकबा अनुसार 0.46 हैक्टर कम दर्ज है ।

3. अतः कम भूमि की पूर्ति करते हुए वादी के खाते में सम्पूर्ण आराजी अर्थात् 4.80 हैक्टर भूमि दर्ज की जावे । मृतक अडिसाल का एक मात्र उत्तराधिकारी होने तथा पगडी दस्तूर स्व0 नन्दसिंह की वादी के बांधी गई जो समाज के रीति रिवाजों व प्रथा अनुसार स्व0 नन्दसिंह जी के समस्त हक हकूक वादी के हक में समाहित हो गये हैं । वादी का भाई नन्दसिंह लाऔलाद अपने पिता के जीवनकाल में ही फौत हो चुका है इसलिए खोले गये इंतकाल नं0 67 दिनांक 15.01.1992 को वादी के हक हकूकों तक निरस्त फरमाया जाकर वादी को एडवर्स पजेशन के आधार पर सम्पूर्ण भूमि का खातेदार घोषित किया जावे । प्रतिवादी क्रम 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि जब तक उक्त आराजी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में रकबा कमी पूर्ति न नक्शा तरमीम नहीं हो जाता तथा खोला गया इंतकाल संख्या 67 दिनांक

15.01.1992 निरस्त नहीं हो जाता तब तक तक रेहन, बेचान, हिब्बा, दान, वसीयत एवं किसी भी प्रकार से अन्तरण नहीं करें ।

4. प्रतिवादी कम 1 ने दिनांक 07.04.2016 को अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अनतर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि वादी का सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा नहीं है । वादी का वाद विधि– विरूद्ध है क्यों कि हिन्दू नारी सम्पत्ति का अधिकार अधिनियम, 1937 में प्रवृत हो गया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में धारा 45, 46 में विधवा सम्पत्ति की सुरक्षा का अधिकार दिया है । इसलिए वादी द्वारा प्रतिवादिया कम 1 के विरूद्ध घोषणा का वाद विधि– विरूद्ध है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 (1) महिलाओं का सम्पत्ति में अधिकार निहित है एवं विधवा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में प्रवर्तन में आने के पश्चात् सम्पत्ति की पूर्ण स्वामिनी होगी । इस प्रकार वादी द्वारा वादपत्र में गलत तरीके से कब्जा बताया है । वादी द्वारा पूर्व में भी अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वादपत्र पेश किया जिसको वादी द्वारा दिनांक 25.02.2015 को विड्रो कर लिया यह दावा वादी द्वारा दिनांक 24.02.2015 को माननीय न्यायालय में पेश कर दिया था । जबकि बाद पेश करने से पूर्व विड्रो करना चाहिए था । वादी का वाद न्याय के नैसर्गित सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज फरमाया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2016 के द्वारा प्रार्थी प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2016 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पोषनीय नहीं था । आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में केवल वाद के अभिकथन पर ही विचार किया जा सकता है । इस कानूनी बिन्दु पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद के वर्णित तथ्यों से वाद कारण प्रकट होता है । पूर्ववर्ती वाद एवं पश्चात्वर्ती वाद में चाहा गया अनुतोष भिन्न–भिन्न हैं । इस कारण आदेश 02 नियम 02 जाप्ता दीवानी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिवादी से जवाबदावा प्राप्त कर, तनकीयात कायम कर बाद शहादत फरीकेन, बहस समाअत कर सीपीसी के प्रावधानों की पालना कर दावे का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार कर दावा वादी खारिज करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11

सीपीसी के प्रार्थना पत्र के आधार पर दावा वादी खारिज किया है जबकि प्रकरण में प्रार्थिया सम्पतबाई ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रस्तुत किया था जिसमें प्रार्थिया ने वसीयत के आधार पर हक घोषणा के वाद में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश किया । पक्षकारान के अधिकार एवं स्वत्व साक्ष्य के आधार पर ही तय हो सकते हैं । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के आधार पर दावा खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है । वादी के द्वारा अपने दावे में हक, घोषणा के साथ–साथ इन्द्राज दुरूस्ती की प्रार्थना भी प्रतिवादी कम 2 से चाही गई है । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में एआई आर 2011 सुप्रीम कोर्ट पेज 09 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अडीसाल सिंह जी के खाते की थी । अडीसाल सिंह जी के दो पुत्र पर्वत सिंह एवं नन्दसिंह हुए। रेस्पोडेन्ट नन्दसिंह की पत्नी है इस नाते इस आराजी में उसका 1/2 हिस्सा निहित है । वादी ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर संयुक्त खाते की आराजी में हक, घोषणा का दावा पेश किया है जो मेन्टेनेबल नहीं है । पूर्व में एक वाद विभाजन का पेश किया गया था जो दिनांक 25.02.2015 को विड्रो किया है अब उन्हें वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 12.04.2016 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2032 से 2038 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी अडीसाल सिंह जी के खाते में दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति एवं नकल जमाबन्दी संवत् 2047 से 2050 संलग्न है जिसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 572 की 4.34 हैक्टर आराजी अडीसाल सिंह पुत्र चतर सिंह के नाम खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 के अनुसार वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी कम 1 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । पत्रावली में एक प्रार्थना पत्र सम्पतबाई द्वारा प्रस्तुत अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का संलग्न है, जिसमें प्रार्थी ने वसीयत के आधार पक्षकार बनने की प्रार्थना की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं किया है । इसके अलावा उपखण्ड अधिकारी, दीगोद में पेश किये गये दावे एवं उसमें पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न है । यह दावा वादी के द्वारा प्रतिवादी कम 1 व 2 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 53 एवं 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था और इस दावे को उनके द्वारा दिनांक 25.02.2015 को विड्रो किया है जिसके आधार पर दावा खारिज किया गया है ।

11. नया दावा जिसके सम्बन्ध में अपील विचाराधीन है इससे पूर्व वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अन्तर्गत धारा 88 में पेश किया गया है इस दावे में वादग्रस्त आराजी के बाबत् हक, घोषणा के साथ–साथ इन्द्राज दुरूस्ती की सहायता प्रतिवादी कम 2 से चाही गई है और यह अंकित किया है कि राजस्व रिकॉर्ड में 0.46 हैक्टर आराजी कम दर्ज की गई है जिसकी पूर्ति की जावे । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 प्रतिवादी की ओर से पेश कर यह कथन किया गया है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादग्रस्त आराजी में उनका हित निहित है । वादी का सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा नहीं है, वादी का वाद विधि – विरूद्ध है ।

12. वादी के द्वारा पूर्व में पेश किया गया वाद दिनांक 25.02.2015 को विड्रो कर लिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार कर दावा वादी खारिज किया है ।

13. वादी के द्वारा जो पूर्व में दावा पेश किया गया था उसमें विभाजन की सहायता चाही थी और नया दावा दिनांक 24.02.2015 को पेश किया गया है और इसके बाद पहले से विचाराधीन पुराने वाद को दिनांक 25.02.2015 को विड्रो किया गया है । अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत जो दावा था उसमें हक, घोषणा के साथ–साथ इन्द्राज दुरूस्ती के लिए प्रतिवादी कम 2 से सहायता चाही थी । इसके अलावा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का सम्पत बाई के द्वारा पक्षकार बनने हेतु पेश किया गया था जिस पर कोई निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने पारित नहीं किया है । यह प्रार्थना पत्र वसीयत के आधार पर वादग्रस्त आराजी में हक, घोषणा का है । इस समस्त तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर साक्ष्य के उपरान्त निर्णय पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं । एआईआर 2011 सुप्रीम कोर्ट पेज 09 यहॉ चस्पा होता है ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 12.04.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पत्रावली में सलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें तथा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 31.10.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 05.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/9/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा